Action Taken Report in the compliance of Original Application No. 699/2019 Sajla Devi V/s U.P. Govt. & Others in order passed dated 16.09.2019 by the hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.

1. According to the office records, M/s Rathor Brothers Ent Bhatta, Gata No-815/0.837 ha of Asadnagar, Pargana-Azamnagar, Tehsil-Aliganj, District-Etah, has been established and operated since 2001 by the owner, Mr. Satyapal Singh, S/o Kunwar Bahadur Singh. Consent Air/Water for operation of brick kiln has been issued by the office valid upto 31.07.2019. Apart from this, M/S R.S. Ent Bhatta, Dada, Tehsil-Aliganj at Gata No-42mi/1.44 ha of Gram-Ubhai, Asadnagar, Pargana-Azamnagar, Tehsil-Aliganj. Ent Bhatta Consent for operation of brick kiln has been issued by the office valid upto 30.09.2016, then the operation of brick kiln is stopped last few Years. In Reference of M/S R.S. Ent Bhatta, Gram-Ubhai, Asadnagar, Tehsil-Aliganj, District-Etah. The Deputy Collector, Aliganj has also mentioned letter on dated 16.11.2019 that the said Brick kiln has not been operated for the last 04 years. The referenced land was formerly leased land and was later declared as transferable land before 1408-1413 years. It is noteworthy that the said allocation was canceled and entered as Dhaka in the year 2008. Gata number-42 m / 1.442 of the said village, out of 0.400 ha is occupied by brick kiln chimney, old brick and building a office. In order to remove illegal possession, the legal process against illegal occupants has been filed in Section 67 (1) of the Revenue Code 2006 in the Court of Tehsildar Aliganj, for the trial of the eviction No- T-No.1919210504879, T-201918210504880 and T-201918210504881. (Annexure-1 & 2)
2. According to the office records, M/s Ramnath Singh Ent Bhatta has been established and operated in Gata No.279 M / 0.409 ha of Village Tikathar, Tehsil-Aliganj. District-Etah Since Year 2010 Consent Air / water has been issued by the office for operation of brick kiln valid upto 31.07.2021. M/s Dhupkali Ent Bhatta has been established and operated since 1999 in village Sarouth. Consent Air/Water has been issued by the office for operation of brick kiln Valid Upto 31.07.2021 and the M/S R.S. Ent Bhatta, established and operated at Gata No.279, Mauja-Garhi Rossan, Gram-Lalhat, Jaithra, Tehsil-Aliganj, district-Etah. Consent Air/Water has been issued by the office for operation of brick kiln, the valid upto 31.07.2021. The R S Ent Bhatta is operated in the name of Mouza Garhi Roshan Gata No. 279 M / 0.409 H. The said land was leased which was purchased by the purchaser Mrs. Kittav w/o Mr. Ramkhiladi and Mrs. Ramamurthy W/o Rameshwar Singh without the permission of the competent officer. the said land was registered in the name of the State Government by the Additional District Magistrate (Administration), Competent Officer Court. At present, the suit of the said land is under consideration in Hon'ble Court Commissioner Aligarh Circle Aligarh. (Annexure-1 & 2)
3. Presently, the above brick kiln is not operated due to off Season. Brick kilns are mainly used coal/wood/agricultural waste as fuel. According to the office records, no avidance and other complaint has been received regarding illegal burning of wood for Brick kiln operation. (Annexure-1 & 2)

(Ram Gopal)
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Aligarh

(P.L. Maurya)
Sub District Magistrate
Aliganj
Etah

Scanned by CamScanner

Annexure-1

कार्यालय उपजिलाधिकारी अलीगंज (एटा)

संख्या 687 /एस0टी0 दिनांक– 16-11-2019

जिलाधिकारी,
एटा।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 349/ख0अनु0 दिनांक 28.9.2019 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ को सम्बोधित है तथा अधोहस्ताक्षरी को प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गयी है। उक्त पत्र में दिये गये निर्देश के अनुपालन में राजस्व टीम के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा जांच की गयी। जांच आख्या निम्नलिखित प्रकार से है:–

(1) प्रश्नगत भूमि ग्राम उभई असदनगर परगना आजमनगर तहसील अलीगंज जिला एटा के फसली वर्ष 1426–1431 के खाता संख्या 1185 के गाटा संख्या 42मि0/ 1.442है0 जो अभिलेखों में श्रेणी 5–3–ख ढाका दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में पट्टे की भूमि थी बाद में 1408–1413 फ0 वर्ष से पूर्व संक्रमणीय भूमि घोषित हो गयी। उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि का आवंटन निरस्तीकरण का वाद न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा में विचाराधीन रहा जिसमें अपर जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश से उक्त आवंटन को निरस्त करके ढाका के रूप में वर्ष 2008 में दर्ज किया गया। उक्त ग्राम के गाटा संख्या 42मि0/1.442है0 में से 0.400है0 पर ईंट भट्टा, चिमनी घेरा व पुरानी ईंट रखकर तथा मकान/ कार्यालय बनाकर कब्जा किया गया है। शेष जगह पर झाड़ झंखाड़ खड़े हुए हैं व खाली है। अवैध कब्जा हटाने हेतु अवैध काबिज व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक प्रकिया के अन्तर्गत राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 (1) में बेदखली का वाद न्यायालय तहसीलदार अलीगंज में वाद सख्या टी–201918210504879 व टी–201918210504880 व टी–2019182105 04881 योजित किया गया है। जांच में यह तथ्य पाया गया कि मौके पर ईंट भट्टा लगभग 4 वर्ष से संचालित न होना बताया गया। मौके के फोटोग्राफ संलग्न हैं। इसी ग्राम में एक अन्य ईंट भट्टा गाटा संख्या 815/0.837है0 श्री सत्यपाल सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह का संचालित है जो अभिलेखों में श्री सत्यपाल सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है।

(2) श्री रामनाथ यादव व उनके भाइयों द्वारा तहसील अलीगंज के ग्राम ललहट, टिकाथर व सरौठ में भट्ठे संचालित करने की शिकायत है। इसके सम्बन्ध में जांच करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व ग्राम ललहट की भूमि पर कोई भट्ठा संचालित नहीं

Scanned by CamScanner

है। अपितु आर एस ईट भट्टा ललहट के नाम से मौजा गढ़ी रोशन के गाटा संख्या 279मि0/0.409है0 में संचालित है। उक्त भूमि पट्टे की थी जिसे केता श्रीमती किताव श्री पत्नी रामखिलाड़ी व श्रीमती राममूर्ति पत्नी रामेश्वर सिंह द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कय किया गया था। इस तथ्य के संज्ञान में आने पर सक्षम अधिकारी न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के द्वारा उक्त भूमि राज्य सरकार के नाम अंकित की गयी। सम्प्रति उक्त भूमि का वाद मा0 न्यायालय आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ में विचाराधीन है।

(3) ग्राम अमृतपुर रघूपुर में वर्तमान वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र के पेड़ पौधों को भट्ठे में जलाकर वन्य जीव व पर्यावरण को प्रभावित करके राजस्व हानि की शिकायम के विषय में अवगत कराना है कि वर्तमान में भट्ठा संचालन न होने के कारण तथा शिकायतकर्ती अथवा अन्य द्वारा ऐसा कोई पुष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीकराये जाने से इस तथ्य की पुष्टि नही की जा सकी।

बिन्दुवार जॉच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार मूल रूप।

तहसीलदार
अलीगंज

16.11.19
उपजिलाधिकारी,
अलीगंज

Scanned by CamScanner

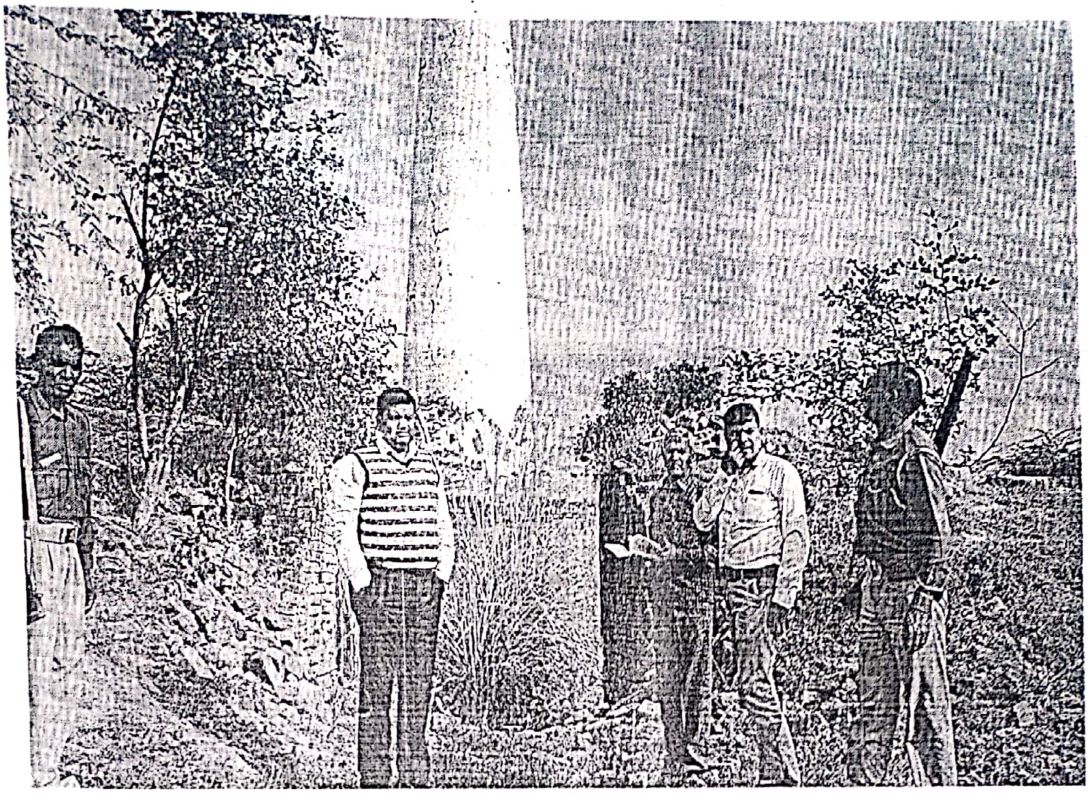

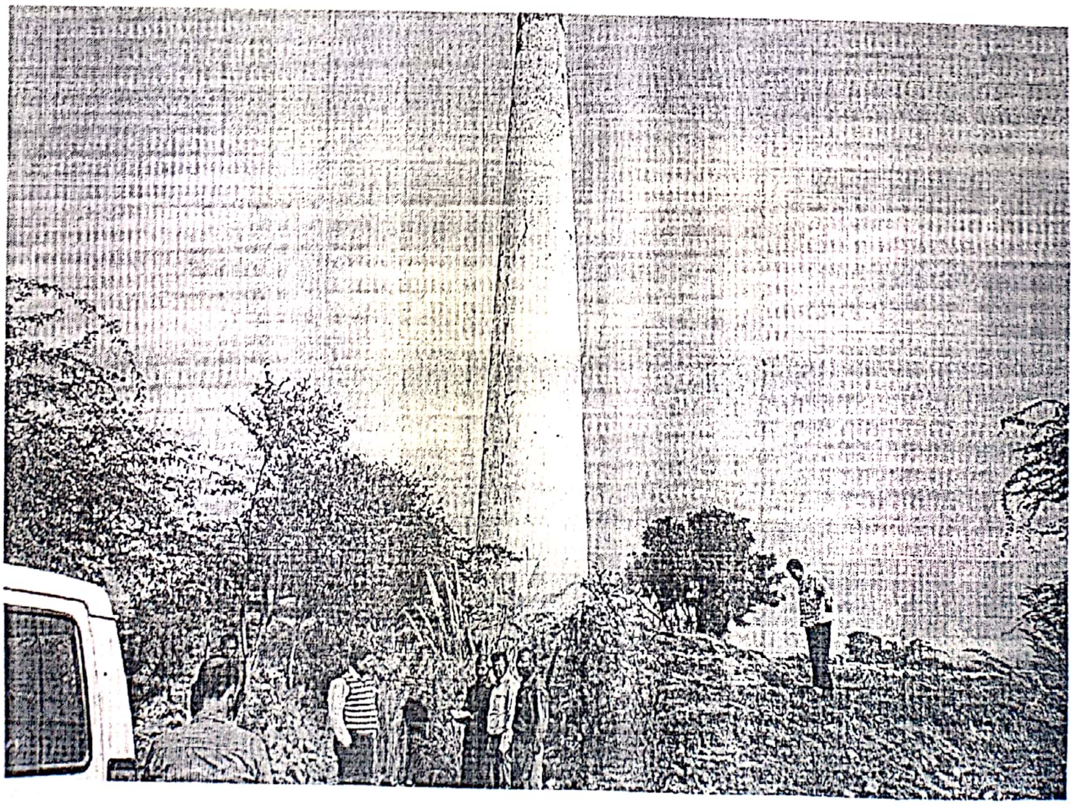

3

Scanned by CamScanner

Annexure-2

विषयः—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या—699/2019 सजला देवी बनाम उ0.प्र. सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.09.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या—

कृपया जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या—349/ख0अनु0 दिनांक 28.09.2019 एवं 361/ख0अनु0 दिनांक 07.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या—699/2019 (सजला देवी प्रति स्टेट ऑफ उ0प्र0 में दिनांक 16.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में आख्या निम्नानुसार है—

1. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उभई, असदनगर, परगना—आजमनगर, तहसील—अलीगंज, जनपद—एटा के गाटा सख्या—815/0.837 है0 पर मै0 राठौर ब्रदर्स ईंट भट्ठा वर्ष 2001 से स्थापित एवं संचालित है,, जिसके स्वामी श्री सत्यपाल सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह हैं। कार्यालय द्वारा ईंट भट्ठे के संचालन हेतु सहमति जल/वायु निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.07.2019 तक है। इसके अतिरिक्त ग्राम—उभई, असदनगर, परगना—आजमनगर, तहसील—अलीगंज के गाटा संख्या—42मि0/1.44 है0 पर मै0 आर0एस0 ईंट भट्ठा, डाडा, तहसील—अलीगंज पर स्थापित है। कार्यालय द्वारा ईंट भट्ठे के संचालन हेतु सहमति जल/वायु 30.09.2016 तक निर्गत की गयी थी, तत्पश्चात् ईंट भट्ठे का संचालन बन्द है। मै0 आर0एस0 ईंट भट्ठा, ग्राम—उभई, असदनगर, तहसील—अलीगंज, जनपद—एटा के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी महोदय, एटा द्वारा दिनांक 16.11.2019 में यह भी उल्लेख किया गया है कि भट्ठा विगत 04 वर्षों से संचालित नहीं है।
2. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार मै0 रामनाथ सिंह ईंट भट्ठा के नाम से वर्ष 2010 से ग्राम—टिकाथर, तहसील—अलीगंज के गाटा संख्या—279मि0/0.409 है0 में स्थापित एवं संचालित है। कार्यालय द्वारा ईट भट्ठे के संचालन हेतु सहमति जल/वायु निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.07.2021 तक है। ग्राम सरौठ में मै0 धूपकली ईंट भट्ठा वर्ष 1999 से स्थापित एवं संचालित है। कार्यालय द्वारा ईंट भट्ठा संचालन हेतु सहमति जल/वायु निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.07.2021 तक है तथा मै0 आर0एस0 ईंट भट्ठा, गाटा संख्या—279, मौजा—गढ़ी हसन, ग्राम—ललहट, जैथरा, तहसील—अलीगंज, जनपद—एटा पर स्थापित एवं संचालित है। कार्यालय द्वारा ईंट भट्ठे के संचालन हेतु सहमति जल/वायु निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.07.2021 तक है।
3. वर्तमान में उपरोक्त ईंट भट्ठे सीजन ऑफ होने के कारण संचालित नहीं है। ईंट भट्ठों ईंधन के रूप में मुख्य रूप से कोयला/लकडी/कृषि अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय अभिलेखानुसार अवैध रूप से लकडी काटकर जलाने एवं भट्ठा संचालन करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(उपेन्द्र प्रसाद)	(वी0के0 राजपूत)	(राम गोपाल)
अवर अभियन्ता	सहा0वैज्ञा0 अधिकारी	क्षेत्रीय अधिकारी

(4)

Scanned by CamScanner